



बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना-800 014
संख्या-व.सं./13/2020-598

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

वन संरक्षक,
पटना अंचल, पटना।

पटना-14, दिनांक-08/07/2021

विषय : नालंदा जिलान्तर्गत हवेन त्सांग मेमोरियल हॉल के पहुँच पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.4175 हे० वन भूमि का "रजिस्ट्रार नव नालंदा महाविहार (सम विश्वविद्यालय) नालंदा" के पक्ष में अपयोजन के प्रस्ताव पर अंतिम स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रस्ताव पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार, पटना के कार्यालय पत्रांक व. सं./13/2020-387 दिनांक 05.05.2020 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में लगाये गये शर्तों के विरुद्ध वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना के पत्रांक 1806 दिनांक 08.12.2020 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिसके क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक वन भूमि-32/2020 457 (ई०) दिनांक 02.07.2021 द्वारा प्रस्ताव पर अंतिम (Stage-II) स्वीकृति प्रदान करने हेतु सहमति संसूचित की गयी है।

तदआलोक में प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-09/98 FC दिनांक 13.05.2011, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 1371 (ई०) दिनांक 19.12.2018 के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ नालंदा जिलान्तर्गत हवेन त्सांग मेमोरियल हॉल के पहुँच पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.4175 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर अंतिम (Stage-II) स्वीकृति प्रदान की जाती है-

- (i) अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
- (ii) परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली 1.4175 हे० वन भूमि के बदले में दुगुने अवकृष्ट वन भूमि में पूर्व चिन्हित नवादा वन प्रमंडलन्तर्गत 3.00 हे० छपरा सुरक्षित वन (PF) में क्षतिपूरक वनीकरण का कार्य कराया जायेगा।

- (iii) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में मात्र एक सुखे वृक्ष को पातित कर परियोजना निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा।
- (vi) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना लागत पर यथा संभव तकनीकी रूप से वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा से परामर्श प्राप्त कर उनके निर्देशन में परियोजना स्थल के आस-पास यथासंभव उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण कराएगी।
- (iv) वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामग्री निकालने के लिये नहीं किया जायेगा, और न ही अपशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा।
- (vii) वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिये अतिरिक्त अथवा नये वन पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।
- (viii) वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।
- (ix) वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को ईंधन आपूर्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा। प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/स्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वन एवं वन्यप्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्यकारी एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं।
- (x) वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- (xi) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय-समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।
- (xii) यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्त आवश्यक होगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये यह बाध्यकारी होगा।
- (xiii) उपभोक्ता अभिकरण [रजिस्ट्रार, नव नालंदा महाविहार (सम विश्वविद्यालय) नालंदा] अपयोजित वन भूमि को किसी भी अन्य व्यक्ति/प्राधिकार/विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन/हस्तान्तरण/ अभ्यर्पण (assignment) नहीं करेगी।

अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश सामान्य स्वीकृति के तहत उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिये 5 (पाँच) हे० वन भूमि के अपयोजन की शक्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को देने के क्रम में अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जाता है।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन की स्थिति का अनुश्रवण वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना द्वारा किया जायेगा एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा विषयांकित परियोजना के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के तहत निर्गत अंतिम स्वीकृति के आलोक में 1.4175 हे० वन भूमि की विमुक्ति प्रयोक्ता एजेंसी को स्वीकृत कार्यों के लिये किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-व.सं./ 13 / 2020-598... दिनांक 08/07/2021

प्रतिलिपि: वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा वन प्रमंडल बिहारशरीफ/रजिस्ट्रार, नव नालंदा महाविहार (सम विश्वविद्यालय) नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-व.सं./ 13 / 2020-598... दिनांक 08/07/2021

प्रतिलिपि: अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-व.सं./ 13 / 2020-598... दिनांक 08/07/2021

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।